संलग्नक-05

(68)

कार्यवाही विवरण

श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईन), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1263/1, कुल क्षेत्रफल–4.047 हेक्टेयर, विस्तारीकरण डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–17,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,020 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 05.01.2022 समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम अकलसरा, विकासखण्ड–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईन), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1263/1, कुल क्षेत्रफल–4.047 हेक्टेयर, विस्तारीकरण डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–17,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,020 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 04.12.2021 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द इकोनॉमिक्स टाईम्स, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 04.12.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 05.01.2022 समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम अकलसरा, विकासखण्ड–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती, जिला–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत भैसों, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू – तल,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,

(67)

पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां/ आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 05.01.2022 समय प्रातः 11:23 बजे, स्थान–अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम अकलसरा, विकासखण्ड–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्रीमती लीना कोसम, अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री बुद्धदेव पाण्डेय, पर्यावरण सलाहकार एसीरीज एनवायरोटेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, (उत्तर प्रदेश) के द्वारा श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईन), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री मनीष कुमार साहू, ग्राम–अकलसरा** :– खदान खुलने से मुझे रोजगार मिला, हमारे गांव का सड़क भी गांव वाले मेंटेन करते है। मैं कलेक्टर महोदया से खदान को संचालित करने का अनुमति करवाना चाहता हूँ ये मेरा सुझाव है। मेरे को रोजगार मिला ये खदान वाले साहब आये मुझे रोजगार प्रदान किया। मेरे को घर चलाने में सहयोग हुआ।

2. **श्री शिवनंदन प्रसाद साहू, ग्राम–अकलसरा** :–हमें खदान खुलने से बेरोजगारों को रोजगार मिला है। हमारे घर में बच्चों को पढाने में तकलीफ नहीं हो रहा है। कलेक्टर महोदया खदान को चलने दे। हमें रोजगार मिला है।

3. **श्री जयकुमार, ग्राम खम्हरिया**:–अरविंद जी के जन सुनवाई में यह बताना चाहता हूं कि गांव का विकास न रूके। खदान चालू रहे।

4. **श्री सत्य नारायण साहू, ग्राम–खम्हरिया** :–हमारे यहां खदान चलने से रोजगार मिला है।

5. **श्री भूपेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–खम्हरिया** :–मैं अरविंद सोनी के खदान में काम कर रहा हूँ। मैं बेरोजगार घूम रहा था, मेरे को काम मिला है, मेरे को अच्छा लगा है।

6. **श्री रामरतन चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :–लोक सुनवाई के लिए कार्यक्रम रखा गया है। अरविंद सोनी खदान संचालक है। उनका प्रतिवर्ष 17500 टन उसे वे चाहते है 249020 टन हो जाये। तो हमारे समस्त विरोध पक्ष में है। अभी क्षमता कम होने से जल स्तर कम हो गया है। बोर खोदवाये 500 फीट में पानी मिला है। पानी का समस्या हो गया है वायु प्रदूषण हो रहा है ट्रक चल रहा है। गांव में गरीब किसान का जमीन है भूमि खेती योग्य है वो बिल्कुल मर गया है। पानी भी नहीं रूक रहा है। फसल बो रहे है बीज तक नहीं हो रहा है। उत्पादन भी नहीं हो रहा है। खदान होने से सडक निर्माण वो भी, खदान में निर्मित हो गया है। नाला में मिट्टी पाटा जा रहा है। ये आपत्ति है साथ ही साथ हमारे गांव में धान खरीदी के द्वारा आपत्ति किया गया है। खरीदी केन्द्र चलेगा। इन्ही के आरोप से

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,

धान खरीदी केन्द्र संचालन नहीं हो पा रहा है। वहां इन्ही के द्वारा रोक लग गया है। अरविंद सोनी जी स्टाम्प में लिख के दिये थे। अगर खोलूंगा तो 01 कि. मी. में शाला निर्मित है। बिल्डिंग जर्जर स्थिति है। खदान खुलने से समस्या ही समस्या है। ये जो डोलोमाईट खदान है उसे बंद करने की कृपा करें। विनम्र प्रार्थना करता हूॅ। गांव की स्थिति को देखते हुए खदान गांव में बंद कर दिया जाये। हम यह नहीं चाहते है कि हमारा गांव बर्बाद हो जाये।

7. **श्री पुरूषोत्तम सिंह नायक, सरपंच ग्राम–अकलसरा** :–मेरा निवेदन है वर्तमान में हमारे गांव अकलसरा में अरविंद सोनी द्वारा डोलोमाईट खदान संचालित है। जिसके अंतर्गत् आज की जन सनुवाई 17,500 टन से 2,49,020 टन/वर्ष की हो रही है। जिसमें हमें आपत्ति है, माइंस के कारण जल का स्त्रोत काफी पीछे चला गया है। किसान का खेत है, उपजाऊपन भी नष्ट हो रहा है, माइंस के पास नाला है। माइंस में वर्ष 2006 में वो भी विवाद हो रहा है। यहां ब्लास्टिंग के कारण स्कूल में जर्जर स्थिति बनी हुई है। पूर्व में लिखित में स्टाम्प में दिया गया था कि खदान नहीं खोलूंगा। मनका दाई मंदिर का रास्ता भी काफी खराब हो गया है। डोलोमाईट खदान बंद किया जाये।

8. **श्री नारायण प्रसाद मनहर, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी** :– ये डोलोमाईट अकलसरा में संचालित है, जिसके कारण पूरे गांव का वायु प्रदूषण फैल गया है। बच्चो में विभिन्न प्रकार के बीमारी फैल गया है। जल का स्तर काफी नीचे चला गया है। उस क्षेत्र का पर्यावरण बर्बाद है। गोठान निर्माण किया गया है। वहां खदान के नाम से अवरोध हो रहा है। उसको तत्काल बंद कराया जाये। माइंस के आसपास क्षेत्र में धान खरीदी हो रहा है। पर्यावरण, स्कूल, गोठान प्रभावित हो रहा है। ये डोलोमाईट तत्काल बंद कराने की कृपा करेंगे।

9. **श्री महेन्द्र सिंह सिदार, ग्राम–अकलसरा** :–आज की जन सुनवाई का समस्या माइंस से है। अवगत कराये है। मैं भी सहमत हूॅ। सबसे शुरू ये जो माइंस है पहले ध्रुव अग्रवाल से 2005–2006, 2007 में दिया गया था। अरविंद सोनी के तरफ से ग्राम पंचायत से एनओसी दिया गया है। केवल सरपंच का साईन सिगनेचर है। एनओसी सभी के द्वारा दिया गया है। ये फर्जी भी हो सकता है। सही तरीके से छानबीन करके निराकरण करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,

10. **श्री बोधराम चंद्रा पूर्व सरपंच, ग्राम–बोथिया** :– किसान को केवल खेत मा अनाज उगा के अपन घर के पालन पोषण करते है, हो सके ग्राम पंचायत के सरपंच वो समय मा बतावत हे। नोटिस दीस। शासन प्रशासन में बैठे व्यक्ति जेला जिम्मेदारी दिये जाते। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सर्वमान्य नहीं होवत हे। हीत अहित जुडे हे पंचायती राज जुडे हे। आज लोक अदालत आप लगाये। अरविंद सोनी ला लीज दिये गये है। आसपास के किसान जानकारी चाहत हे व विरोध भी करत हे। वो जो बात वास्तव मा कहीस वो सत्य है। मै निवेदन करना चाहत हव। नदी, नाला के छेड़खानी नहीं करना चाहिए। बारो महीना बजंती नाला बहत रहिस हे। नाला बोथिया, मल्ली तक जावत है। बोथियो मंदिर विराजित है। चार जगह विराजित हे। सौकडो श्रद्वालू जाते। मंदिर से 10 कि.मी. दूरी तय करही। ये जो समस्या उत्पन होये हे। मैं आग्रह करना चाहत हव ये धान खरीदी केन्द्र दो गॉव से होकर संचालित है केकराभाठा, अकलसरा। खेल मैदान स्वीकृति होवत हे। आज विसम परिस्थिति बनीस हैं। मैं निवेदन करना चाहत हव कि वास्तव में डोलोमाईट के लीज दिये है। ग्राम पंचायत के सरपंच व जनमानस विरोध करत है। केवल एक व्यक्ति के हित मा न देखे जाये। नदी, नाला के अस्तित्व बने रहे। यह देखा जाये, गांव शांति से रहे।

11. **श्री पुष्पेन्द्र कुमार चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :–उत्खनन क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे गांव को अनेक प्रकार के कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण हो रहा है। आसपास के किसानों को उपज के लिए बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। छ.ग. शासन द्वारा 2006 में गोठान का निर्माण किया गया है। साथ–साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक भवन लगभग 2 कि.मी. की दूरी में हो रहा है। 100 रूपये के स्टाम्प में लिख के दिया गया है कि मैं माइंस संचालन नहीं करूंगा, करके। गांव में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस खदान को तत्काल बंद करने की अनुमति दे। ये बहुत समस्या है।

12. **श्री अमर सिंह बनाफर, ग्राम–ठठारी** :–मैं जब शुरू में आया कुछ खम्हरिया के लोग बोल रहे थे। इससे फायदा है। पहले से खम्हरिया से लगा जंगल था। यहां पर पूरा जंगल था, मूंगफली की खेती करते थे। यहां पर सियार थे, जंगली, जानवर खत्म हो गया। इसके बनने से खेती समाप्त हो रहा है। यहां भी खत्म हो जायेगा। बजंती नाला बारामासी पानी बहता था मैं अप्रैल, मई माह तक पानी बहते देखा हूँ। वॉटर लेबल नीचे हो गया है। लोगों के लिए कुआं तो खत्म हो

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,

गया, हैंडपंप तो जब तक चल जाये। बाराद्वार में गुरूश्री का क्रेशर चल रहा है। वहां पर धूल डस्ट से रास्ता नहीं दिखता है। ये सब अवगत है। अभी देश में कृषि कानून आया था। किसान साल भर आंदोलन कर बलिदान कर उस कृषि कानून को बंद किये है। खदान मालिक से हम सब की लडाई हैं मैं ज्यादा बोलूंगा, गडबढ हो जायेगा। लकडी काटने के लिए बेट बने है। वो भविष्य का सोचे आज न सोचे।

13. **श्री जगदीश प्रसाद चंद्रा, उपसरपंच प्रतिनिधि** :–इसी खदान के चक्कर में सरपंच चला गया। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए गांव का सरपंच से कौन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया और ट्रांसफार्मर लग गया है। हमारा हाई स्कूल खदान के बगल में है वहां पर ट्रांसफारर्मर नहीं लगा। इसको भी जांच का विषय है मैडम जी। ये जांच का विषय है।

14. **श्रीमती फोटोबाई यादव, ग्राम–अकलसरा** :–अरविंद सोनी मना किया था, कि मैं खदान नहीं खोलूंगा, कसम खाया था और खदान खोल दिया है। हमारे गांव में मंडी वही रहेगा। हमारे गांव अकलसरा में सब चीज होना चाहिए।

15. **श्री चैतराम चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :–खदान खुलीस हे बहुत दुखदाई होईस हे। जान के खतरा भी होत रहीस हे। किसान के एक दो आदमी से पूछ सकत है। नरवा 24 घंटा पानी बहत रहीस, गौठान पूर्वज समय से बनीस हे। ऐखर छानबीन होना चाहिए। हमारा पूरा आपत्ति हवय। मैं छोटे से बच्चा हवव। ये खदान खुलीस हे तब ले रोड़ ही खत्म हो गये। ओहू हा बंद होगे। मच्छी कोतरी भी खत्म हो गये, खदान खुले मा।

16. **श्री बिरबल साहू, ग्राम खम्हरिया सरपंच** :–अरविंद कुमार सोनी डोलोमाईट माइंस है। उसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूॅ। इस विरोध का कारण ग्राम पंचायत खम्हरिया में भी देखा गया है। माइंस को विस्फोट किया जा रहा है। अनेक प्रकार की समस्या है। इसका मैं विरोध करता हूॅ। ये खदान संचालित न हो, इसका मै विरोध करता हूॅ।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

17. **श्री मनोज बंसल, ग्राम–बाराद्वार** :–यहां 17,500 टन को 2,49,020 टन बढ़ाने की ये जन सुनवाई की जा रही है। ऐसा होना चाहिए। इससे यहां खनिज मद में बहुत पैसा आता है। जो यहां के जिला में कई प्रकार के कार्यो में उपयोग में आता है। यहां के बेरोजगार लोग को रोजगार मिलता है। ड्राईवर आदि लोगों को रोजगार मिलता है। एशिया में ये अच्छा डोलोमाईट है। वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। आपसे निवेदन है कि इसको अनुमति दी जाये।

18. **श्री श्यामलाल, ग्राम–अकलसरा** :–जब बाराद्वार वाले बोलिस, अकलसरा के आदमी ड्राईवर म रखे हे। मैं किसान बेटा हव। पानी के समस्या बहुत हे।

19. **श्री अमृत लाल हरवंश, ग्राम–केकराभाट** :–अकलसरा से नहर गया है। अकलसरा के लोग पानी नहीं जाने देते है। शासन ने नहर दिया है। अकलसरा के लोग पानी को नहीं जाने देते है।

20. **श्रीमती उमाचंद, ग्राम–अकलसरा** :–जो गांव वाले बोले हैं मैं सहमत हूँ। अगर चलाना है तो अच्छे से चलाये हमारे महिलाओं को रोजगार दिया जाये। मनका दाई मंदिर रोड़ का ध्यान देना चाहिए। खदान से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से करें, गांव के रोड़ व स्कूल को बनवाने में सुविधा करें। जो गांव वाले बोले है। उसमें सहमत है।

21. **श्री राजेश लहरे, पूर्व सरपंच, ग्राम–आमाकोनी,** :– आज हमला पता चलिस कि अकलसरा क्षेत्र के किसान महिला ये डोलोमाईट के नाम से प्रताड़ित है। हमन किसान के बेटा हन। हमन समर्थन मा पहुचे हन। किसान के हित मा समर्थन देने पहुचे है। ये क्षेत्र मा बहुत बड़े दुखद बात हे। किसान अन्न उत्पादन नहीं करही। डोलोमाईट खदान नहीं रहिस हमर जीवन यापन चलत रहिस। हमर किसान के मांग, दीदी के मांग, बहनी के मांग, नवजवान के मांग हे कि अकलसरा डोलोमाईट खदान ला बंद करे जाये। जल स्तर नीचे जात हे। हमर धान के फसल व पीने के पानी पर्याप्त मात्रा मा नहीं मिल पावत हे। ये डोलोमाईट खदान ला बंद करव। माइंस के कारण अतेक पर्यावरण प्रदूषण होवत हे। सब्जी प्रभावित होवत हे। स्वास्थ खराब होवत हे। आपमन के अकलसरा डोलोमाईट ला बंद करव। अकलसरा में शासकीय उच्चतर जर्जर हो जावत हे।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

वो क्षतिग्रस्त हो जावत है। किसान मन के मांग हे, सही मांग हे। ओला हमन समर्थन करथन। सही हे, किसान के मेहनत व किसान के चिंता करने वाला किसान हे। हमला धान, सब्जी उत्पादन करना है। हमन छत्तीसगढ़ के वासी हन। अकलसरा में डोलोमाईट ला निरस्त किया जाये। हम ग्रामीण क्षेत्र मन ला फायदा नहीं हे। हमन के जमीन ला हड़प लेथे। ओ मनके परिवार मन रोजी रोटी कमाथे। हमन के जमीन व हर प्रकार के चीज ला छीन लेईस। किसान के हित मा काम होना चाहिए। अकलसरा, भोथिया में सहयोग देय बर पहुंचे हन। डोलोमाईट खदान से कितना प्रतिक्रिया से गुजरना चाहिए। डोलोमाईट जमीन ला जबरदस्ती छीन लेवत हे। सरकारी जमीन मा रोड़ बना दीस। हम ला ये दिन नहीं देखना पड़तिस। ट्रांसफार्मर को कागज मा लगादिस। एक मीटर ला लगाये तीन महीना लगथे। यही मैं कहना चाहथव ये राजस्व विभाग हे, तहसीलदार, पर्यावरण से पूछना चाहथव कि ये खदान बंद करना है। कांग्रेस के सरकार हे। आज किसान मन आज जाग चुके हे। किसान के हित मा काम होवे। व्यापारी मन यहां से जाही। मैं बताना चाहथव कि एकदम पहले ये क्षेत्र मा इतने बड़े नेता है, हमारे भोथिया के पूर्व सरंपच ला बोलना चाहथव। तभी आपमन के साथ अन्याय होवत हे। आज किसान के हित मा काम करे बर हे रायपुर मा हे, दिल्ली मा हे। आप मन का सोचना समझना हे। गर्मी के दिन मा फसल नुकसान होवत रहिस। आज किसानों, महिलाओं, नवयुवको की मांग है डोलोमाईट खदान को बंद किया जाये। आंदोलन करने में बाध्य रहेंगें। खदान बंद नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल करेंगे। किसान के हित में समर्थन किया हूँ।

22. **श्री रामकुमार भैना, ग्राम– केकराभाट** :–आज के मेवा हमला मिल गे हे।

23. **श्री भोलेश्याम चंद्रा, अकलसरा** :–आपत्ति के समर्थन करथव। जतका डोलोमाईट चलते उस गांव मा फायदा होते। वो माइंस मा कतना कन डोलोमाईट जाते और गाड़ी में ओवर लोड करे हे, ओ सब ला मोला जानना है। ओमेर हाई स्कूल हवय, हमन एक बिजली के कनेक्शन करवाथन तो तीन महिना लगथे। ट्रांसफारर्मर वाले के दो खम्बा लगे हे और मैं माइंस के विरोध करथव। मैं हमेशा विरोध करथव। माइंस के जल स्तर गिरत हे। ये माइंस 5–10 साल चल गईस तो फायदा माइंस के संचालक ला होथे। गांव के जनता मन ला घूमाथे। अकलसरा में कई आवेदन पहुच गये है। आज ये पंडाल लग गईसे हे। ये कार्य

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,

तुमन 3–4 साल पहले करे रईथव। मैं विरोध करथव। ये माइंस ला तुरंत बद करवावव, बंद करना है। बंद करना है एक ठोक जमीन नहीं देना है। कोई भी घंटी बजाही। एकता रईहा तो मुश्किल से 50 से 60 मीटर में कैसे एनओसी कैसे पास होईस। ग्राम पंचायत में प्रस्तावित अनुमोदन होईस सही बात बोलीस हे। इतका बड़े माइंस के कागज ही कागज में हो गेईस। गरूवा ला चले के जगह नहीं है। खदान पटा नहीं हे। खदान के पानी हा बोरिंग, बोर मा जाथे। हमन वो पानी ला पीथन।

24. <u>श्रीमती तेरसबाई, ग्राम–अकलसरा</u> :–हमर अकलसरा में बिहान योजना में जुडे है। हमन के लिए कोई जुडे नहीं है। गांव मा गोठान नहीं है। हमर पुराना गोठान चाहत हन। हमर गोठान नई बन पाईस हे। खदान खोलवाना नहीं चाहथन। डोलोमाईट हमारे खदान मा नहीं खुले। स्कूली बच्चामन ला परेशानी हे। गाय बछरू मन डूब के मर चुके हे। हमन खदान ला नहीं खोलवाना चाहथन। किसी हाल में हमन गरीब आदमी हन। एक रूपये के मोहताज बन जाथन। बच्चा मन ला पढे लिखे मा परेशानी होवत हे। खेती करही तब बच्चा मन ला पढ़ाही खदान ला नहीं खोलवाना चाहथन।

25. <u>श्रीमती क्रांति बाई सिदार, ग्राम–अकलसरा</u> :–खदान नहीं खुलना चाहिए। 6 एकड़ जमीन नहीं बेची है। खदान नहीं खुलना चाहिए। बाकी सब लोग बेच लिये है।

26. <u>श्री सरकार सिंह, पूर्व सरपंच, ग्राम–अकलसरा</u> :–मैं खदान बंद करे के पक्ष में हूॅ। क्रांतिबाई के बात के समर्थन करथन हव। आपमन विरोध करना है ना। खदान नहीं होना है ना।

27. <u>श्री आत्माराम मरकाम, ग्राम–अकलसरा</u> :–हमारे गांव अकलसरा में ये खदान नहीं खुलना चाहिए। जल स्तर नीचे गिरते जा रहा है। खदान बंद होना चाहिए। डस्ट गिर रहा है। खदान पूरा बंद होना चाहिए। हम पूरा विरोध करते है।

28. <u>श्रीमती परमेश्वरी श्रीवास, ग्राम–अकलसरा</u> :–हमर गांव के खदान बंद होना चाहिए।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

29. **श्रीमती राजकुमारी, ग्राम–अकलसरा** :–खदान ला बंद कराना चाहथन। खेती किसानी में बहुत दिक्कत जात हे।

30. **श्री रामगोपाल चंद्रा, ग्राम–अकलसरा** :–अभी हमारे गांव में डोलोमाईट के नाम से पूरा शुरू हो गया है जल का स्तर नीचे चला गया है। इसके लिए डोलोमाईट बडते क्रम में ही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खदान को बंद किया जाये। किसान दलालों के बहकावे में आके खेत बेच दे रहे है। मैं किसान को निवेदन करना चाहता हूँ कि दलाल के चक्कर में न आये, गांव वाले अपना मद रखे।

31. **श्रीमती जलेश कुमारी, ग्राम–अकलसरा** :–खदान को जल्द से जल्द बंद किया जाये। हमारे बच्चें कष्ट उठा रहे है।

32. **श्रीमती गेंद बाई सिदार, ग्राम–अकलसरा** :–खदान नहीं खुलना चाहिए। मेरा भी खेती है 2 एकड़।

33. **श्रीमती सतकुमारी नायक, ग्राम– अकलसरा** :–बंद करावाना है खदान ला, हमला बहुत परेशानी होते। वायु प्रदूषण से, जितना भी आये है उससे सहमत हव। मैं भी खदान ला बंद करवाना चाहथव।

34. **श्रीमती सीमा सिदार, ग्राम–अकलसरा** :–जितने लोग भी हमारे गांव के लोग बोले है उससे मैं सहमत हूं। हमारे गांव में खदान बंद हो। विकास के लिए राशि दिया जाये। हमारे समूह वाले पूरा चाहते है।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 2:01 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,

58

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री बुद्धदेव पाण्डेय, पर्यावरण सलाहकार एसीरीज एनवायरोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, (उत्तर प्रदेश) श्री अरविन्द सोनी (अकलसरा डोलोमाईट माईन), ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 2:30 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 17 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 34 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई। विडियोग्राफी में तकनीकी त्रुटि के कारण जनसामान्य की आवाज रिकार्ड नहीं हो पाई है। लोक सुनवाई में लगभग 100 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 52 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर
कार्यालय कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)